(वाद सं0–653/4/8/2020)

14.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, सुगांव, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा परिवादी, श्यामाकान्त गिरि, का दिनांक–02.05.2015 से 20.05.2016 तक के दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के माध्यम से प्राप्त जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन व सरकार के संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदन से प्रसंगाधीन मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी गिरि ने पूर्व परम्परा के अनुसार अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश पर, राजकीय अम्बेदकर आवसीय उच्च विद्यालय, सुगांव, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य किया था, लेकिन बाद में बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा परिवादी को नियोजित किए जाने के आधार पर उसके नियोजन को सरकारी प्रवधानों के प्रतिकूल पाकर उसके नियोजन को दिनांक–20.05.2016 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व मे भी परिवादी का नियोजन जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा अप्रैल–2010 से सितम्बर 2011 तक व नवम्बर 2011 से फरवरी 2014 तक (कुल 860 दिनों) के लिये किया गया था तथा संबंधित विभाग के निर्देश पर उसे 200 रूपये प्रतिदिन की दर से एक लाख बहत्तर हजार रूपये का दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा ही किया गया था।

राज्य आयोग परिवादी के नियोजन की वैद्यता के संबंध में कोई मन्तव्य देना उचित नहीं समझती है। लेकिन, चूंकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी से 02 मई 2015 से 20 मई 2016 तक दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर शिक्षण का कार्य लिया गया है तो परिवादी को उक्त किये गये

कार्य की अवधि का दैनिक पारिश्रमिक पाने का मानवाधिकार है तथा उस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है।

राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में विभागीय सचिव को परिवादी को दिनांक–02.05.2015 से दिनांक–20.05.2016 तक के अवधि में संबंधित प्राधिकार द्वारा लिये गये शिक्षण कार्य के लिए दो सौ रूपये प्रति कार्य दिवस की दर से आदेश पारित होने के आठ सप्ताह के अन्दर दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चत कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की ओर से समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के कार्यावधि दिनांक–02.05.2015 से दिनांक–20.05.2016 तक के अवधि के दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है।

अब, जबकि परिवादी के दावे का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद समाधान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में अब अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त के आलोक में इसे राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–61–57/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक